

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

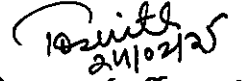
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 119 /2025 दिनांक 25.02.2025

श्रीमती रीतु चौधरी (RJ00749), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, लालसोट (दौसा) को दिनांक 10.03.2025 से 21.03.2025 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.03.2025 से 09.03.2025 एवं 22.03.2025 से 23.02.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, लालसोट (दौसा) के पद पर ही होने की संभावना है।

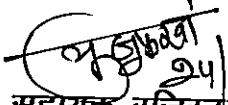
आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
दिनांक 25.02.2025

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/32/2013/ 1668

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा को उनके पत्रांक 2372 दिनांक 19.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रीतु चौधरी (RJ00749), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, लालसोट (दौसा)।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, लालसोट (दौसा)।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा।


सहायक रजिस्ट्रार।